

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00542

दिनांक 04.06.2018

सेवा में,

श्री चौरूलाल कुम्हार,

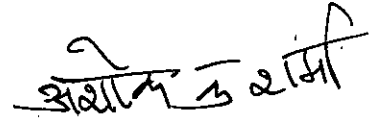
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 16.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 24.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 132880) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 28.05.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 2 एवं 3	आपके द्वारा मांगी गई सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग/प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पर टिप्पणी करना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।
----------------------	---

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690